ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम कालू

60/24 धा. 54

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
24/2/25	पत्रावली पेश हुई । व. फ. उप.. [illegible] आदेश....... 7/2/2025 अनुसार आगामी पेशी दिनांक....17/3/2025........ को पेश हो ।	
17/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व के अप्रार्थी-1, 2, 4 का जवाब पेश हो रखा है अप्रार्थी-3 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
20/3/25	पत्रावली पेश हुई । दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/3/25 को पेश हो ।	
25/3/25	पत्रावली पेश हुई । दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो ।	
8/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान को [illegible] तक पाबंद किया जाता है कि वे [illegible] आराजी के मौके की यथास्थिति [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary

Date: 2025.05.07 16:39:42 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 60/2024 निर्णय दिनांक 08.04.2025

सीताराम पुत्र प्रभालीलाल जाति नाई, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला– जयपुर ।

बनाम

1. नत्थूलाल पुत्र प्रभाती लाल जाति नाई, उम्र जयरामपुरा, तहसील रामपुरा ड़ाबड़ी, जिला– जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील रामपुरा जयपुर ।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर, जरिये सचिव ।
4. बिदामी देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी टोडावतो की ढाणी ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

उपस्थिति :– (1) श्री बसन्त पारीक – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री रामजीलाल जाट – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1, 4 की ओर से

निर्णय दिनांक 08.04.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.4700 हैक्टर भूमि वाके ग्राम जयरामपुरा, तहसील रामपुरा ड़ाबड़ी, जिला– जयपुर में स्थित है का वादी 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार कास्तकार हैं । वाद पत्र के मद संख्या 1 (एक) में दर्ज सम्पत्ति वादी व प्रतिवादी की पैत्रिक सम्पत्ति है । वादी संख्या 1 (एक) द्वारा समय–समय पर अपने धन से उक्त कृषि भूमि पर 14 (चौदह) दुकानों का निर्माण करवाया गया व उसमें विद्युत कनेक्शन भी वादी ने अपने नाम से ले रखा हैं व विवादग्रस्त भूमि पर के परिवार निवास हेतु कुछ कमरों का निर्माण करवाया गया। मद संख्या 1 (एक) में दर्ज सम्पत्ति का मौखिक विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने हिस्से की आपसी सहमति से पहचान करा ली गयी । अर्थात् वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त सम्पत्ति पर [illegible] काबिज है व अपने–अपने हिस्से को कास्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) पर पूर्ण विश्वास होने के कारण उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में विभाजन – पत्र का निष्पादन नहीं किया गया लेकिन मनबट से काबिज हैं हाल ही में वादी का यह जानकारी प्राप्त होने पर कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) वाद पत्र के मद संख्या 1 (एक) में दर्ज सम्पत्ति का बेचान करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

चाहता है। इस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से उक्त सम्पत्ति का विभाजन करने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 (एक) द्वारा विभाजन के सम्बन्ध में आना–काना की गयी। इस पर वादी को यह पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) परिवार की उक्त सम्पत्ति को सम्पत्ति के दस्तावेजों में 1/2 (एक बट्टा दो) हिस्से में स्वयं का नाम दर्ज होने के आधार पर भूमि का कोई सा भी हिस्सा बेचान कर सकता है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र के मद संख्या 1 (एक) में दर्ज सम्पत्ति का विभाजन करवाया जाना आवश्यकीय हो गया हैं वाद पत्र में मद संख्या 1 (एक) में दर्ज सम्पत्ति को प्रारम्भ से ही बादी एवं प्रतिवादी द्वारा परिवार की सम्पत्ति मानते एवं समझते हुए ही व्यवहार किया जाता रहा है । उसी के अनुसरण में ही बादी उक्त सम्पत्ति पर मकानात व दुकानात के निर्माण में काफी धनराशी खर्च की गई है। ऐसी स्थिति में वादी उक्त सम्पत्ति का 1/2 हिस्सा मनबट के आधार पर मीट्स एण्ड बॉड्स के कब्जे के आधार पर विभाजित करने का अधिकारी हैं। 7यदि अप्रार्थी संख्या 2 विवादित भूमि का विक्रय हस्तान्तरण कर देता है या प्रार्थी के 1/2 भाग में बनी दुकानात व मकानात से बेदखल कर देता है तो प्रार्थी को ही अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य में न हो सकेगी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 4 को उक्त वादग्रस्त आराजीयात् में निहित अपने हक – हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 24.44 वर्गगज (20.43 वर्गमीटर) का बेचान किया जा चुका है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात् में हितबद्ध पक्षकार होने से केता को प्रकरण हाजा में बतौर अप्रार्थी संख्या 4 बनाया गया है। खसरा नंबर 1423 की भूमि पर प्रार्थी जो मिन अप्रार्थी का भाई है आपस में कई वर्षो से मनबंट से विभाजन कर कदीम से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जिस पर निर्मित 14 दुकानें प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिताजी स्व. श्री प्रभातीलाल ने अपनी स्व–अर्जित आय से निर्मित की वादग्रस्त आराजीयात् पर स्थित दोनों पुख्ता मकानात् भी प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थी के पिताजी के द्वारा ही निर्मित किये गये है वादग्रस्त आराजीयात् खसरा नंबर 1423 की उत्तरी दिशा में निर्मित 14 दुकानों में आधी मिन अप्रार्थी की है जिसमें दुकान संख्या 5 का बेचान मिन अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को किया जा चुका है तथा पश्चिम दिशा में मिन अप्रार्थी का मकान भी स्थित है। तथा शेष भूमि में पूर्वी दिशा की ओर स्थित ग्राउण्ड की भूमि एवं खाली भूमि में मिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने आपस में राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक – हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है तथा तदनुसार ही काबिज है । प्रार्थी के मन में सदैव से बदनीयति रही तथा वादग्रस्त आराजीयात् को मीटस्

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

प्रकरण संख्या – 60/2024
बउनवानी – सीताराम बनाम नाथूराम वगै0
निर्णय दिनांक :– 08.04.2025

एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन [illegible] केवलमात्र बेशकीमती हिस्से (सभी दुकानो) की भूमि को अपने नाम विभाजित कराना चाहता है जिसका उसे कोई किसी प्रकार का कानूनन हक अधिकार प्राप्त नहीं है

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी खसरा 1423 संवत 2076–2079, विद्युत बिल 2021, 2022, 2023 की प्रति पेश की।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। वाद बंटवारे से संबंधित है एवं अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। तथा प्रस्तुत तर्को अनुसार अप्रार्थीगण यदि विशिष्ठ भूभाग पर निर्माण अथवा बेचान करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकरान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद [illegible] है कि वे विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.4700 हैक्टेयर वाके [illegible]रामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील [illegible] जिला जयपुर में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर